



उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग  
आयोग भवन, हरिद्वार-249404  
Website : [www.ukpsc.gov.in](http://www.ukpsc.gov.in)

☎ 01334.244143

संख्या : 115/60/01/डी0आर0(मा0शि0)/सेवा-1/2016-17

दिनांक : 19 जून, 2019

साक्षात्कार कार्यक्रम

एतद्वारा विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या : 428-430/2019 में मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में उत्तराखण्ड शासन के माध्यमिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत उत्तराखण्ड विशेष अधीनस्थ शिक्षा (प्रवक्ता संवर्ग) सेवा (सामान्य शाखा तथा महिला शाखा) हेतु प्रकाशित विज्ञापन संख्या : A-1/S-1/2018 दिनांक 04 सितम्बर, 2018 के अन्तर्गत प्रवक्ता-वाणिज्य (सामान्य शाखा), प्रवक्ता-कृषि (सामान्य शाखा) एवं प्रवक्ता-मनोविज्ञान (महिला शाखा) के सापेक्ष सम्पन्न स्क्रीनिंग परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों में से साक्षात्कार हेतु अर्ह अभ्यर्थियों हेतु अनुक्रमांकवार साक्षात्कार कार्यक्रम निम्नवत निर्धारित है :-

प्रवक्ता-वाणिज्य (सामान्य शाखा)

साक्षात्कार तिथि : 05 जुलाई, 2019

1. उपस्थिति समय :: प्रथम सत्र :: पूर्वाह्न 09:30 बजे

920035	920123	920504	920773	-	-	-
--------	--------	--------	--------	---	---	---

2. उपस्थिति समय :: द्वितीय सत्र :: अपराह्न 12:30 बजे

920077	920079	920210	920554	-	-	-
--------	--------	--------	--------	---	---	---

प्रवक्ता-मनोविज्ञान (महिला शाखा)

साक्षात्कार तिथि : 05 जुलाई, 2019

1. उपस्थिति समय :: प्रथम सत्र :: पूर्वाह्न 09:30 बजे

940022	940064	940074	940098	940100	-	-
--------	--------	--------	--------	--------	---	---

## प्रवक्ता-कृषि (सामान्य शाखा)

साक्षात्कार तिथि : 05 जुलाई, 2019

1. उपस्थिति समय :: द्वितीय सत्र :: अपराह्न 12:30 बजे

930044	-	-	-	-	-	-
--------	---	---	---	---	---	---

**नोट :**

01. उपरोक्त साक्षात्कार परीक्षा हेतु समस्त अर्ह अभ्यर्थियों को केवल ऑनलाईन साक्षात्कार-ज्ञाप जारी किये जा रहे हैं। अभ्यर्थी साक्षात्कार-ज्ञाप के साथ विस्तृत आवेदन-पत्र (प्रपत्र संख्या-02), प्रमाणीकरण-प्रपत्र (प्रपत्र संख्या-03) तथा देशना-प्रपत्र (प्रपत्र संख्या-04) डाउनलोड करें तथा उन्हें पूर्ण रूप से भरते हुए अपने सभी प्रमाण-पत्रों और अंक-तालिकाओं की स्वप्रमाणित प्रतिलिपियों (छायाप्रति) के साथ साक्षात्कार के समय अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करें।
02. अभ्यर्थी साक्षात्कार तिथि को समस्त शैक्षिक अर्हता/अधिमानि अर्हता/आरक्षण/अनुभव प्रमाण-पत्र मूल रूप में सत्यापन हेतु आयोग में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करेंगे।
03. साक्षात्कार तिथि को समस्त अभिलेख/प्रमाण पत्रों की छायाप्रति व मूल अभिलेख सत्यापन हेतु प्रस्तुत न करने पर अभ्यर्थी को साक्षात्कार में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।
04. किसी भी अभ्यर्थी को साक्षात्कार में औपबन्धिक (Provisional) रूप से सम्मिलित नहीं किया जायेगा।
05. अर्ह अभ्यर्थियों को पृथक से डाक द्वारा साक्षात्कार-ज्ञाप प्रेषित नहीं किये जायेंगे।
06. उक्त तिथि को साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थियों के समस्त अभिलेख/प्रमाण पत्रों की छायाप्रति का मूल अभिलेखों से सत्यापन, अनुक्रमांकवार प्रथम सत्र में पूर्वाह्न 09:30 बजे एवं द्वितीय सत्र में अपराह्न 12:30 बजे से प्रारम्भ होगा।

**-Sd-**  
(राजेन्द्र कुमार)  
सचिव।